

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस० एस० अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1189—चार/2008 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 30-08-2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 769/निगरानी/2006-07.

1—लखपति सिंह पुत्र शंभू सिंह
निवासी ग्राम गजरी तहसील
मंझोली जिला सीधी म0प्र0

— आवेदक

विरुद्ध

- 1—श्रीमती शांति सिंह बेवा रणबहादुर सिंह
- 2—अखिलेश सिंह पुत्र रणबहादुर सिंह
- 3—सरस्वती सिंह 4—लक्ष्मी सिंह
- 5—अनुसुईया पुत्रीगण रणबहादुर सिंह
- 6—वीरेश कुमार सिंह पुत्र श्री हरगोपाल सिंह
निवासी ग्राम गजरी तहसील
मंझोली जिला सीधी म0प्र0
- 7—म0 प्र0 शासन

— अनावेदकगण

श्री एस० पी० धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक अनावेदक-1 से 6
शासन के पैनल अधिवक्ता अनावेदक क्रमांक-7

आदेश
(आज दिनांक 1110117 को पारित) .

112// प्रकरण क्रमांक निगरानी 1189-चार/2008

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2008 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मंझोली जिला सीधी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां पर अनुविभागीय अधिकारी मंझोली द्वारा आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 की परिधि के बाहर मानते हुये निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया उससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, अपर आयुक्त रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्य धारी लखपति सिंह पुत्र शंभू सिंह बघेल थे। बन्दोवस्त के पूर्व विवादित भूमि सर्व क्रमांक पुराना 1156 रकवा 0.12 है। तथा नया नम्बर 2158 रकवा 0.12 है। काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 89 के अधीन इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि बन्दोवस्त की कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक द्वारा बन्दोवस्त के समय त्रुटि की गई है।

इसे दुरुस्त किया जावे। विवादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक हैं, आवेदक के अक्ष व क्षेत्रफल में कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आवेदक को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। इस कारण अनावेदकगण का आवेदन पत्र प्रचलनशील नहीं होने से एवं अवधि वाहय होने के कारण निरस्त किया गया है, अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। अपील योग्य आदेश को

निगरानी में चुनौती दी है इस कारण निगरानी योग्य नहीं होने से भी स्वीकार करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, इस कारण आलोच्य आदेश अपास्तनीय है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 113 में लिपिकीय भूल या पक्षकारों की सहमति का आधार अनुविभागीय अधिकारी को आदेश देने की अधिकारिता है। धारा 89 में केवल राजस्व सर्वेक्षण बन्द होने के बाद तथा बन्दोवस्त कार्य चालू रहने के दौरान सर्व नम्बर रकवा राजस्व निर्धारण में भूल या गणना को ठीक कर सकता है परन्तु संहिता की धारा 89 में समय सीमा का ध्यान रखना होगा। उक्त प्रकरण में बन्दोवस्त सन् 1996-97 में हो गया था। उसे सन् 2003 में चुनौती दी गई है इस कारण उक्त आवेदन अवधि वाहय एवं अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि जहां तक बन्दोवस्त की त्रुटि में सुधार करने का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी को रकवा में कमी आने पर आदेश पारित करने की अधिकारिता है। अक्ष की त्रुटि को दुरुस्त करने की अधिकारिता नहीं है, यह केवल संहिता की धारा 107 (5) में कलेक्टर को अधिकारिता है। इस कारण उक्त आदेश अधिकार विहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम गजरी की भूमि सर्व क्रमांक पुराना 1175/2 रकवा 6.50 एकड़ के भूमि स्वामी अनावेदकगण के भूमिस्वामी एवं कब्जेदार के दादा रख 0 हरिगोपाल सिंह बघेल थे उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि पर आवेदक एवं अनावेदकगण संयुक्त रूप से मौके से काबिज होकर कास्तकारी करते चले आ रहे थे, भूमि खसरा क्रमांक पुराना 1183/2 रकवा 48.00 एकड़ म0प्र0 शासन के स्वामित्व की भूमि थी जिसके जुज रकवा 2.00 एकड़ पर अनावेदकगण के पिता काबिज होकर मौके से कास्तकारी करते थे तो म0 प्र0 शासन द्वारा अनावेदकगण के पिता को 2.00 एकड़ के रकबे को बाग लगाने हेतु स्वीकृति दे दी गई थी। भूमि खसरा नम्बर पुराना 1175/2 का पुराना नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार था भूमि खसरा नंबर पुराना 1175/2 का नया नंबर 2170 एवं 2171 हैं एवं भूमि खसरा क्रमांक 1182/2 के जुज रकबा 2.00 का नया नंबर 2172 है।

///4// प्रकरण क्रमांक निगरानी 1189-चार/2008

बादग्रस्त भूमि का पुराना नक्शा भी मौके के स्थिति के अनुसार था। वर्तमान बन्दोबस्तु हुआ तो आवेदक ने सांठ गांठ करके बादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बिना किसी सक्षम अधिकारी के अपना नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित करा लिया तथा वही वर्तमान बन्दोबस्तु द्वारा जो बादग्रस्त भूमि का नक्शा तैयार किया गया वह पुराने नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तैयार न कर नया नक्शा में बादग्रस्त भूमि का खसरा क्रमांक 1183/2 रकबा 48.00 एकड़ के जुज रकबा 2.00 एकड़ जिसका नया नंबर 2172 है अनावेदकगण के कब्जे की भूमि है उसका भी पटटा आवेदक द्वारा करा लिया था। अनावेदकगण को जब वर्तमान बन्दोबस्ती की त्रुटि की जानकारी हुई तो अनावेदकगण ने न्यायालयीन कार्यवाही की। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रावधानों से उचित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से उचित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 30.4.03 को आवेदन पत्र को प्रचलनशील न मानते हुये निरस्त कर दिया गया है जबकि कोई भी आवेदन जब किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार व ग्राहयता पर ही विचार किये जाने के पश्चात ही पंजीबद्वि किया जाता है, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष निकालते हुये आवेदन पत्र को प्रचलनशील नहीं माना है, यदि अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना था कि धारा 89 का आवेदन पत्र प्रचलनशील नहीं है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र को वापस किया जाना चाहिये था। प्रकरण में पटवारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट था कि जो त्रुटि हुई है वह बंदोबस्त के समय हुई है और बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि को धारा 89 के अन्तर्गत सुधार किये जाने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 9.8.07 में यही निष्कर्ष निकाल

1 // 5 // प्रकरण क्रमांक निगरानी 1189-चार/2008

कर विधि सम्मत सुनवाई करने के उपरांत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जो अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 769/निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 30.8.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस० एस० अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
गवालियर